



2026:AHC:56317

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 1731/2026

राधे श्याम और 8 अन्य

.... प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

... विपक्षी(गण)

प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता : रमेश कुमार

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 51

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X

1. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री आचार्य राजेश त्रिपाठी को सुना गया।
2. कार्यालय की आख्या के अनुसार, प्रतिवादी/सूचनाकर्ता को नोटिस की तामील हो चुकी है, किन्तु उक्त प्रतिवादी की ओर से अपील का विरोध करने हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. यह आपराधिक अपील, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-ए(1) के अंतर्गत, अपीलकर्ताओं द्वारा इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है कि अपील को स्वीकार करते हुए पारित आक्षेपित समन आदेश दिनांक 13.08.2025 तथा बी.डब्ल्यू. आदेश दिनांक 05.12.2025, जो विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अधिनियम)/अपर सत्र न्यायाधीश, आगरा द्वारा शिकायत वाद संख्या 93/2024 (श्रीमती कश्मीरी बनाम राधेश्याम एवं अन्य), मुकदमा अपराध संख्या 159/2023, थाना किरावली, जनपद आगरा में पारित किए गए, को निरस्त किया जाए तथा उससे संबंधित समस्त कार्यवाही को भी निरस्त किया जाए। उक्त वाद भा.दं.सं. की धाराओं 147, 323, 504, 506, 285, 427 तथा एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(वीए) से संबंधित है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. संक्षेप में, प्रतिवादी/परिवादी द्वारा वर्तमान अपीलकर्ताओं के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 0159/2023 में भा.दं.सं. की धाराओं 147, 323, 504, 506, 285, 427 तथा एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(वीए) के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मामले की विवेचना की गई और अंतिम आख्या प्रस्तुत की गई। हालाँकि, प्रतिवादी द्वारा प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे शिकायत में परिवर्तित कर दिया गया। तत्पश्चात, विचारण न्यायालय द्वारा धारा 200 एवं 202 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत परिवादी एवं उसके तीन साक्षियों के कथन दर्ज किए गए। इसके पश्चात, अपीलकर्ताओं को समन जारी किया गया।

5. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ताओं को प्रतिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा झूठा फँसाया गया है। अपीलकर्ताओं ने जाटव समुदाय के एक व्यक्ति से कुछ भूमि खरीदी थी और उक्त भूमि के क्रय से क्रोधित होकर प्रतिवादी ने यह एफ.आई.आर. दर्ज कराई, क्योंकि वह स्वयं उस भूमि का उपयोग करना चाहती थी। आगे यह भी कहा गया कि प्रतिवादी/परिवादी ने स्वयं अपनी झोपड़ी में आग लगाई और उसके पश्चात कथित घटना का वीडियो बनाकर अपीलकर्ताओं के विरुद्ध झूठे आरोप लगाकर एफ.आई.आर. दर्ज कराई। विवेचना के दौरान यह पाया गया कि झोपड़ी को स्वयं परिवादी द्वारा ही जलाया गया था।

6. यह भी प्रस्तुत किया गया कि परिवादी एवं उसके साक्षियों के कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं। परिवादी ने कहा कि घटना में 9 अभियुक्त शामिल थे, जबकि उसके तीन गवाहों ने 7-8 व्यक्तियों की उपस्थिति बताई। आरोपों की पुष्टि हेतु कोई चोट आख्या न तो विवेचना के दौरान और न ही विवेचना के दौरान प्रस्तुत किया गया। यह आरोप लगाया गया कि परिवादी के पति के पैर में फ्रैक्चर हुआ तथा उसकी बहू का गर्भपात हो गया, किन्तु इसके समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। आरोप असत्य, मनगढ़ंत एवं काल्पनिक हैं और अपीलकर्ताओं द्वारा विधिवत खरीदी गई भूमि पर अवैध कब्जा करने के उद्देश्य से लगाए गए हैं। यह भी कहा गया कि विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता संख्या-7 कृष्ण पाल के विरुद्ध एससी/एसटी अधिनियम के अंतर्गत संज्ञान लेते समय इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि वह



स्वयं अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय से संबंधित है। अतः आक्षेपित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।

7. विद्वान ए.जी.ए. ने प्रस्तुत किया कि हालाँकि परिवादी एवं उसके साक्षियों के कथनों में कुछ विरोधाभास हैं, किन्तु वे महत्वपूर्ण नहीं हैं। परिवादी एवं उसके साक्षियों ने अभियोजन की कहानी का समर्थन किया है। अतः आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. पक्षकारों के अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार किया गया तथा संपूर्ण अभिलेख, जिसमें आक्षेपित आदेश भी सम्मिलित है, का अवलोकन किया गया।

9. विचारण न्यायालय ने परिवादी एवं उसके तीन साक्षियों के कथनों पर विचार किया है। घटना में अभियुक्तों की संख्या को लेकर कुछ विरोधाभास अवश्य हैं, किन्तु वे महत्वहीन हैं, विशेषकर जब सभी साक्षियों ने अभियोजन की कहानी की पुष्टि की है। जहाँ तक इस तथ्य का प्रश्न है कि कथित झोपड़ी को अपीलकर्ताओं ने जलाया या स्वयं प्रतिवादी/परिवादी ने, यह एक विवादित तथ्य है, जिसका निर्णय विचारण के दौरान ही किया जा सकता है।

10. जहाँ तक अपीलकर्ता संख्या-7 को एससी/एसटी अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन का सामना करने हेतु समन किए जाने का प्रश्न है, इस स्तर पर वह भी अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। यदि अपीलकर्ता संख्या-7 अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय से संबंधित है, तो उसे एससी/एसटी अधिनियम के अंतर्गत विचारण का सामना नहीं करना चाहिए। उक्त बिंदु विचारण के बाद के चरण में उठाया जा सकता है। यहाँ तक कि यदि उक्त तथ्य अस्वीकार भी कर दिया जाए, तब भी इससे अपीलकर्ता संख्या-7 को कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे शेष अपराधों के लिए विचारण का सामना करना ही होगा। अतः इस न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता, त्रुटि या अनियमितता प्रतीत नहीं होती।

11. तदनुसार, यह आपराधिक अपील निरस्त की जाती है।

(माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X)

19 मार्च, 2026

एस. के.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।